न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 99/2024

वादीगण :–

1. लखाराम पुत्र स्व. भगाराम
2. सीतादेवी पत्नी चिमनाराम जातियान जाट (खदाव) निवासीगण जाटों का बास ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राकेश पुत्र स्व. दलाराम
2. महेन्द्र पुत्र स्व. दलाराम,
3. पूजा पुत्री स्व. दलाराम
4. कमली पत्नी स्व. दलाराम जातियान जाट (खदाव) निवासीगण जाटों का बास ग्रम उदलियावास तहसील बिलाडा
5. बालूराम पुत्र स्व. भोलाराम
6. अमराराम पुत्र बालूराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम लोटोती तहसील जैतारण जिला ब्यावर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) एवं पदेन उपं पंजीयक बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी – श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या– 1 से 6 के विरूद्ध एंकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 7– सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 7/10/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से निवास करते है तथा भारतीय नागरिक है। राजस्व ग्राम उदलियावास, तहसील बिलाड़ा की राजस्य सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 254 रकबा 0.2751 हैक्टेयर किस्म गै. मुमकीन आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 514 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार है। उपरोक्त खसरा की भूमि वादीगण व अन्य दर्ज सहखातेदार ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम, कमला पुत्री भगाराम, किरण पुत्री चिमनाराम, जगदीश पुत्र चिमनाराम, दाकूडी पत्नी रिदाराम, पुखाराम पुत्र भगाराम, पपली पुत्री भगाराम, मानाराम पुत्र चिमनाराम, सुन्दरी पुत्री भगाराम की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी संख्या 1 लखाराम का 1/20 वां हिस्सा व वादी संख्या 2 सीतादेवी का 1/20 वां हिस्सा निहित व संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि के पड़ौस निम्न है – उतर तरफ – खसरा संख्या 255 की भूमि स्थित है, जो गुदडराम व

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्य दर्ज सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी भूमि है व खसरा संख्या 253 जो गै.मु. रास्ता है, जो घीसाराम व अन्य दर्ज सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी भूमि है। दक्षिण तरफ – खसरा संख्या 229 गै.मु. बाड़ा की भूमि स्थित है, जो ग्राम पंचायत उदलियावास के नाम दर्ज है। पूर्व तरफ – खसरा संख्या 252/1 की भूमि स्थित है, जो खातेदार सोनी की खातेदारीसुदा भूमि है व खसरा संख्या 229 गै. मु. बाड़ा की भूमि स्थित है, जो ग्राम पंचायत उदलियावास के नाम दर्ज है। पश्चिम तरफ रू– खसरा संख्या 42 गै.मु. रास्ता स्थित है, जो ग्राम पंचायत उदलियावास के नाम दर्ज है। उपरोक्त पड़ौस के बीच स्थित भूमि खसरा संख्या 254 को वाद पत्र के आगे के पर्दों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व अन्य दर्ज उपरोक्त सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा नहीं होने से वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर वादीगण व उपरोक्त अन्य दर्ज सहखातेदारों का कानूनन हक व अधिकार निहित है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण व अन्य दर्ज उपरोक्त सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज है व काश्त करते है तथा वादीगण व अन्य दर्ज उपरोक्त सहखातेदार द्वारा ही वादग्रस्त कृषि भूमि को मौके पर संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वादग्रस्त कृषि भूमि में कानूनन किसी प्रकार का हक व अधिकार निहित नही है व न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर उनका कब्जा काश्त है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर आवारा पशुओ द्वारा फसल को नुकसान पहुचाने के कारण दिनांक 22.08.2024 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण व वादी संख्या 1 की पत्नी सैणी देवी तारबन्दी कर रहे थे, इस दरम्यान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से आये तथा जबरन वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रवेश कर वादी संख्या 2 के साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा मारपीट की तथा वादी संख्या 2 की स्त्री लज्जा भंग भी की। उक्त वारदात के बाद मौके पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 भी आये तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने उक्त वारदात के बाद वादीगण को धमकाया कि ष्वादग्रस्त कृषि भूमि हमारी है तथा हम वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगे आज तो तुम्हे छोड़ रहे है आयन्दा हमारे द्वारा कब्जा करने की सूरत में रोकने की कोशिश की तो हम आप सभी को जान से खत्म कर देंगे। उक्त वारदात की वादी संख्या 2 द्वारा पुलिस थाना बिलाड़ा में दिनांक 22.08.2024 को रिपोर्ट भी पेश की, जिस पर मौके पर पुलिस आयी तथा पुलिस द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को पुनः वारदात करने की सूरत में कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 मौके से चले गये तथा पुलिस ने मौके पर खड़े होकर वादग्रस्त कृषि भूमि की तारबन्दी करवायी। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जिनका वादग्रस्त कृषि भूमि में कानूनन कोई हक व अधिकार नही है व न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है फिर भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर गैर कानूनी तरीके से जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा वादीगंण को वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है।

यक कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जबकि कानूनन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो जबरन कब्जा करने का अधिकार है व न ही वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने का अधिकार है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को उनके द्वारा उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वो वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर देंगे तथा वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे, जिससे वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार से वंचित हो जायेंगे, जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी व वादीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को उनके द्वारा उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वाद कारण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा दिनांक 22.08.2024 को वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने व वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकिया देने पर बमुकाम ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य दर्ज सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया है क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व अन्य दर्ज सहखातेदार के मध्य आज दिन तक विभाजन नही हो रखा है, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रत्येक इन्च की भूमि पर वादीगण व अन्य दर्ज सहखातेदार का हक व अधिकार निहित है, इसलिए कानूनन अन्य दर्ज सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जो कि वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार नही है के विरुद्ध प्रस्तुत वाद पेश करने का कानूनन अधिकार है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य दर्ज सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया है।

अन्त में निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 254 रकबा 0.2751 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वाके ग्राम उदलियावास पर वादीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं व न ही अपने हाली एजेन्ट, नोकर, मजदूर, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, भूमाफिया, किराये के गुण्डों वगैराह से किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी करावे व नही वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करे व न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सं. 1 से 6 के विरूद्ध दिनांक 12.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर लखाराम पुत्र भगाराम पी.डब्ल्यू. 1 व सीतादेवी पत्नी चिमनाराम पी.डब्ल्यू 2 द्वारा वादीगण साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा सं. 234, 244, 254, 267, 269, 272, 273, 274 ग्राम उदलियावास की चालू जमाबंदी संवत् 2073-2076 की ई प्रति, प्रदर्श 2 खसरा सं. 255 ग्राम उदलियावास की चालु जमाबंदी संवत् 2073-2076 की ई प्रति, प्रदर्श 3 खसरा सं. 254 ग्राम उदलियावास के खसरा नक्शा की ई प्रति, प्रदर्श 4 खसरा सं. 253 ग्राम उदलियावास के खसरा नक्शा की ई प्रति, प्रदर्श 5 खसरा सं. 42 ग्राम उदलियावास के खसरा नक्शा की ई प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम उदलियावास की भूमि खसरा नंबर 254 रकबा 0.2751 हैक्टयर किस्म गै.मुमकीन के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादीगण को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वादीगण की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। न्यायिक दृष्टान्त Kanwal Behari Vs Sanwatram appeal No. 7/Alwar of 81, decided on 24th March 1987 – Raj. Tenancy Act, Secs 88&188- A trespasser or a rank outsider can be used for eviction by any co-tenant without necessarily making all co-tenants parties to suit. विवादित भूमि वादीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में स्थायी निषेंधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादीगण को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

:- आदेश:-

अतः वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वो ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 254 रकबा 0.2751 हैक्टयर किस्म गै.मुमकीन (अगर गै.मु. कोई बेरा/रास्ता/सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो तो उसमें स्थगन आदेश प्रभावहीन रहेगा) में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/10/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

लखाराम — राकेश वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 99/2024

निर्णय दिनांक :- 7/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 7 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम उदलियावास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 254 रकबा 0.2751 हैक्टयर किस्म गै.मुमकीन (अगर गै.मु. कोई बेरा/रास्ता/सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो तो उसमें स्थगन आदेश प्रभावहीन रहेगा) में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् — खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा